संख्याः- 9/2023/181/छिहत्तर-1-2023-02सम/2023

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊः दिनॉक 01 फरवरी,2023

विषयः-उत्तर प्रदेश जल निगम अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा नियमावली,1979 के विनियम-5, 6, 8,14,15,16,17, 20, 21 22 तथा 23 में संशोधन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-18/अ-2-2/015-002(ग्रामीण)/नियमावली संशोधन/23, दिनांक 13-01-2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा नियमावली,1979 के विनियम-5, 6, 8, 14, 15, 16, 17, 20, 21 22 तथा 23 में संशोधन के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश जल निगम अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा नियमावली, 1979 को शासन के पत्र संख्या-876-76-1-2022-08सम/2022 दिनांक 06 मई, 2022 द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अन्तर्गत यथावत् लागू/अंगीकृत किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) हेतु नगर विकास अनुभाग-3 के पत्र संख्या-241925/2022-9-3001(011)/1/2022, दिनांक 18 नवम्बर, 2022 द्वारा उत्तर उत्तर प्रदेश जल निगम अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा नियमावली,1979 के विनियम-5, 6, 8, 14, 15, 16, 17, 20, 21 22 तथा 23 के वर्तमान में लागू प्राविधानों में संशोधन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जल निगम अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा नियमावली,1979 के विनियम-5, 6, 8, 14, 15, 16, 17, 20, 21 22 तथा 23 में वर्तमान में लागू प्राविधानों को संशोधित किये जाने की निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

उत्तर प्रदेश जल निगम अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा नियमावली, 1979 में वर्तमान प्राविधान	उत्तर प्रदेश जल निगम अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा नियमावली, 1979 में प्रस्थापित संशोधन
स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
भाग-3–भरती	भाग-3-भर्ती
भरती का स्रोत **विनियम-5** सेवा में पदों पर भरती नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस विनियमावली के भाग पांच में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी । परन्तु 1 जनवरी, 1966 के पूर्व अवर अभियन्ता/ओवर सियर के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त व्यक्ति, चाहे वह शैक्षिक अथवा प्राविधिक योग्यता न भी पूर्ण करता हो, सेवा में नियमित नियुक्ति का पात्र समझा जायेगा यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उक्त पद पर नियुक्ति हेतु वह अन्यथा उपयुक्त समझा जाता है । ऐसे व्यक्तियों के संबंध में विनियम-18(1) के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।	भर्ती का स्रोत **विनियम-5** सेवा में पदों पर भर्ती नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस विनियमावली के भाग पांच में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी ।
<u>अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण</u> विनियम-6 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों व अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भरती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा । नोटः- इस विनियमावली के लागू होने के साथ प्रवृत्त शासनादेशों की प्रतियां परिशिष्ट-"क" में दी हुई हैं ।	<u>अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण</u> विनियम-6 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों व अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण अधिनियम एवं समय-समय पर संशोधित अधिनियम एवं उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए) आरक्षण अधिनियम-1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त अन्य अधिनियमों/ शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा ।

आयु विनियम-8(1) कोई भी व्यक्ति इस विनियमावली के विनियम-5 के प्राविधानों के अन्तर्गत अवर अभियन्ता के पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह जिस वर्ष भरती की जाये उस वर्ष की पहली अगस्त को 18 साल से ऊपर तथा 27 साल (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति अथवा ऐसे वर्गों के व्यक्तियों के लिये जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आयु सम्बन्धी छूट दी जाय 32 साल) से कम की आयु का न हो, परन्तु उन अभ्यर्थियों के मामलों में जो कि पूर्ववर्ती स्वा0शा0अभि0 विभाग/जल निगम के द्वारा तदर्थ रूप से सेवा में पहले से ही नियुक्त हो, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अधिकतम आयु सीमा उस सीमा तक बढ़ाई जा सकती है जितने वर्ष अभ्यर्थी ने तदर्थ सेवा की हो । (2) निगम असामान्य परिस्थितियों में शासन के पूर्व अनुमोदन से किसी भी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के पक्ष में आयु सीमा से मुक्ति प्रदान कर सकता है ।	आयु विनियम-8(1) सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जाये, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो, परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों व ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
भाग-5-भरती की प्रक्रिया रिक्तियों का अवधारण विनियम-14- नियुक्ति प्राधिकारी भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा तथा समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा ।	भाग-5-भर्ती की प्रक्रिया रिक्तियों का अवधारण विनियम-14- नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या तथा अनुसूजित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जातियों व अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा तथा अवधारित की गयी रिक्तियों पर चयन हेतु अधियाचन उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित करेगा ।

भर्ती की प्रक्रिया विनियम-15(1)- भरती निगम द्वारा गठित चयन समिति करेगी । विनियम-15(2)- भरती प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार के माध्यम से की जायेगी ।	<u>भर्ती की प्रक्रिया</u> विनियम-15 सीधी भर्ती के पदों को भरे जाने हेतु अधियाचन प्राप्त होने पर उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा। उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझे, संस्तुति करेगा और नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा ।
विनियम-16-प्रतियोगिता परीक्षा तथा साक्षात्कार के माध्यम से भरती **विनियम-16(1)**-रिक्ति होने पर जब भरती करना हो तो नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों से प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा और ऐसे अभ्यर्थी/ अभ्यर्थियों को जो इस विनियमावली के अधीन भरती के लिये पात्र पाये जायेंगे, लिखित प्रतियोगिया परीक्षा का/के दिनांक सूचित करेगा । किसी अभ्यर्थी को लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास निगम से कोई प्राधिकार या प्रवेश प्रमाण पत्र न हो। टिप्पणी:- प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित पाठ्य विवरण और नियम निगम द्वारा समय-समय पर विहित किये जायेंगे ।	**विनियम-16-विलोपित**

विनियम 16(2)- नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की सूची योग्यता के क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा से प्रकट हो, तैयार करेगा और ऐसे अभ्यर्थियों की जो निगम द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार अर्हता प्राप्त करें, साक्षात्कार के लिए बुलायेगा । प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त किये गये अंकों को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ा जायेगा। अभ्यर्थियों की अन्तिम स्थिति उनके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के कुल योग से अवधारित की जायेगी और तदनुसार सूची बनाई जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को श्रेष्ठता सूची में ऊपर रखा जायेगा । यदि दो या अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार दोनों में समान अंक प्राप्त करें तो डिप्लोमा परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को श्रेष्ठता सूची में ऊपर रखा जायेगा ।	
विनियम-17(1)- चयन समिति द्वारा तैयार की गयी अभ्यर्थियों की सूची को नियुक्ति प्राधिकारी नियुक्ति हेतु अनुमोदित करेगा। रिक्तियों, जो वर्तमान हो या भविष्य में होने वाली हों, इस सूची के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी । विनियम-17(2)- यदि नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति की संस्तुति से सहमत न हो तो वह मामला निगम के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा । इस संबंध में निगम का निर्णय अन्तिम होगा तथा नियुक्ति प्राधिकारी उसके अनुसार कार्यवाही करेगा ।	विनियम-17- नियुक्ति प्राधिकारी, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से प्राप्त चयन सूची को अनुमोदित करेगा तथा उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष नियुक्तियां, इसी चयन सूची के अभ्यर्थियों से करेगा।

भाग-8 नियुक्ति परिवीक्षा और स्थायीकरण	भाग-8 नियुक्ति
नियुक्ति	**परिवीक्षा और स्थायीकरण**
विनियम-20- रिक्तियॉ होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को विनियम 16(2) तथा 17 या 18 के अधीन तैयार की गयी सची में दिये गये क्रमानुसार नियुक्ति करेगा।	**नियुक्ति**
परन्तु यह कि सर्वप्रथम विनियम 18(1) एवं उसके बाद 18(2) के अन्तर्गत बनाई गई सूची में से नियुक्तियां की जायेंगी और तदोपरान्त विनियम 16(2) तथा 17 के अन्तर्गत तैयार की गयी सूची में से नियुक्ति की जायेंगी ।	**विनियम-20-** नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति हेतु निर्गत आदेश में व्यक्तियों के नाम का उल्लेख उसी ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसा आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी चयन सूची में अवधारित किया गया हो।
विनियम-21-परिवीक्षा	**विनियम-21-परिवीक्षा**
21(1) सेवा संवर्ग में स्थाई पद पर, स्थानापन्न या अस्थाई रूप से भिन्न अन्य प्रकार से, नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा। वह परिवीक्षा अवधि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अधिक से अधिक दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति सेवा में स्थानापन्न या अस्थाई रूप से नियुक्त रहा हो, तो उस अवधि को इस विनियम में विहित परिवीक्षा अवधि में पूर्णतया या अंशत: गणना करने की अनुज्ञा नियुक्ति प्राधिकारी दे सकता है।	21(1)(1) सीधी भर्ती के माध्यम से, किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनाक, जब तक के लिए अवधि बढ़ाई जाये, विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है,
	परन्तु यह कि, आपवादित स्थितियों को छोड़कर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

21(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि में या उसके अन्त में यह पाया जाये कि किसी व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या उस कार्य स्तर या बौद्धिक स्तर को जिसकी उससे आशा की जाती थी, प्राप्त करने में असफल रहा है तो उसके उस पद पर जिस पर उसकी नियमित नियुक्ति की गयी हो, यदि कोई हो तो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, और यदि उसका किसी पद पर कोइ धारणाधिकार (लियन) न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है, जिसके लिए वह किसी प्रकार के प्रतिकर का हकदार न होगा।	21(1)(2) भर्ती के स्रोत में से एक यदि सीधी भर्ती है, तो पदोन्नति द्वारा किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिए अवधि बढ़ाई जाये, विनिर्दिष्ट करते हुये परिवीक्षा अवधि को बढा सकता है, परन्तु यह कि आपवादिक स्थितियों को छोड़कर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी। 21(1)(3) सुसंगत सेवा नियमावली में विहित प्रक्रिया के अनुसरण में किसी पद पर समायोजन, आमेलन या संविलियन दवारा नियुक्त किसी व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणो से वह दिनांक, जब तक के लिये अवधि बढ़ाई जाय, विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, परन्तु यह कि आपवादिक स्थितियों को छोड़कर परिवीक्षा अवधि छः माह से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी और किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

<u>विनियम-22 स्थाईकरण</u>

22 किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि

(1) उसका कार्य तथा आचरण सतोषजनक रहा हो,

(2) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी गई हो तथा

(3) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हा गया हो कि वह स्थायीकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

<u>विनियम-22 स्थाईकरण</u>

22(1)(1) किसी सरकारी सेवक का स्थायीकरण केवल उसी पद पर किया जायेगा, जिस पर वह (एक) सीधी भर्ती के माध्यम से या (दो) यदि भर्ती का एक स्रोत सीधी भर्ती भी है, प्रोन्नत द्वारा या (तीन) यदि पद भिन्न सेवा से सम्बन्धित है तो प्रोन्नत द्वारा, मौलिक रूप से नियुक्त किया गया हो।

22(1)(2) ऐसा स्थाईकरण निम्नलिखित के अनुसार किया जायेगा :-

(एक) ऐसे पद के प्रति चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, जिस पर किसी अन्य व्यक्ति का धारणाधिकार न हो,

(दो) यथास्थिति सुसंगत सेवा नियमों, या सरकार द्वारा निर्गत किये गये कार्यपालक अनुदेशों, में दी गई स्थाईकरण की शर्तों को पूरा करने के अधीन,

(तीन) स्थाईकरण के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा औपचारिक आदेश जारी किया जाना आवश्यक होगा।

स्पष्टीकरण:- इस तथ्य के होते हुये भी कि कोई सरकारी सेवक किसी अन्य पद पर स्थायी है, चाहे वह किसी पद पर सीधे भर्ती किया जाये, या किसी पद पर जहां भर्ती का एक स्रोत सीधी भर्ती भी हो, प्रोन्नत किया जाये तो उसे पद पर स्थायी करना होगा।

22(2)(1) स्थाईकरण तब आवश्यक नहीं होगा, जब कोई सरकारी सेवक उस संवर्ग में जिसमें भर्ती का स्रोत प्रोन्नति ही हो, विहित प्रक्रिया का पालन किये जाने के पश्चात नियमित आधार पर प्रोन्नत किया जाये।

विनियम-23 ज्येष्ठता

23(1) इस विनियम में तथा उपबन्धित के सिवाय सेवा की किसी शाखा में किसी श्रेणी के पद पर नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता नियमित नियुक्ति के दिनांक के अनुसार और जहां दो या अधिक व्यक्ति एक ही दिनांक को नियुक्त किये जायें, वहां उस क्रम के अनुसार, जिसमें उनके नाम अनुमोदित सूची में रखे गये हो, अवधारित की जायेगी।

परन्तु यह कि जो व्यक्ति अवर अभियन्ता के पद पर जल निगम के गठन के पूर्व से तदर्थ अथवा स्थानापन्न रूप से निरन्तर कार्य कर रहे थे और जिनके अनुमोदन की संस्तुति चयन समिति द्वारा की गयी है वे उन अवर अभियन्ताओं से वरिष्ठ होंगे जिनकी नियुक्ति जल निगम के गठन के पश्चात की गयी है।

परन्तु यह और कि कोई व्यक्ति अवर अभियन्ता के पद पर जल निगम के गठन के पश्चात तदर्थ अथवा स्थानापन्न रूप से निरन्तर कार्य कर रहा है और उसके अनुमोदन की संस्तुति चयन समिति द्वारा की गयी है तो वह उन अवर अभियन्ताओं में वरिष्ठ होगा जो इस विनियमावली के प्रवृत्त होने के उपरान्त नियमित रूप से नियुक्त किये जाये।

(2) विनियम 18(1) व 18 (2) के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता उनकी तदर्थ नियुक्ति के आदेश की तिथि के अनुसार

विनियम-23 ज्येष्ठता

23- सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथासशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

	22(2)(2) उप नियम 22(2)(1) में निर्दिष्ट पद पर प्रोन्नति होने पर सरकारी सेवक को वे सभी लाभ प्राप्त होंगे जो उस श्रेणी में स्थायी किये गये, यदि कोई परिवीक्षा विहित न की गई हो, किसी व्यक्ति को प्राप्त होते। 22(2)(3) जहां परिवीक्षा विहित है वहा नियुक्ति प्राधिकारी विहित परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर सरकारी सेवक के कार्य और आचरण का स्वयं मूल्यांकन करेगा और इस निष्कर्ष पर पहुंचने की दशा पर कि सरकारी सेवक उच्चतर श्रेणी के लिए उपयुक्त है तो वह यह घोषित करते हुए एक आदेश जारी करेगा कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। यदि नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में सम्बन्धित सरकारी सेवक का कार्य और आचरण सन्तोषजनक नहीं रहा है या कुछ और समय तक उसके कार्य और आचरण को देखने की आवश्यकता है तो वह उसे उस पद या श्रेणी पर प्रत्यावर्तित कर सकता है, जिससे वह प्रोन्नत किया गया था, या परिवीक्षा की अवधि विहित रीति से बढ़ा सकता है। 22(2)(4) जहां उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिये पात्रता की एक आवश्यक शर्त निम्नतर पोषक पद पर स्थायीकरण विहित की जाये, वहां नियम 22(1) के उपनियम (1) के अधीन निम्नतर पद पर स्थायी कोई व्यक्ति उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए पात्र होगा और निरन्तर पोषक पद पर उसका स्थायीकरण आवश्यक नहीं होगा यदि उस पर उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाये।

अवधारित की जायेगी। यदि एक ही तिथि को एक से अधिक व्यक्तियों को तदर्थ नियुक्ति के आदेश हुये हों तो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता उस क्रम के अनुसार अवधारित की जायेगी जिस क्रम में उनके नाम तदर्थ नियुक्ति आदेश में दिये गये हों।	

3- उक्त संशोधन उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) पर लागू होगा।

4- अत अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराने एवं कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बृजराज सिंह यादव)

विशेष सचिव।